13-5-22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि राजस्थान ग्रामदान अधिनियम-1971 में स्पष्ट रूप से धारा 46 में वर्णित है कि - किसी भी सिविल या रेवेन्यु न्यायालय को इस सन्दर्भ में क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। यह प्रार्थना-पत्र राजस्थान ग्रामदान अधिनियम 1971 के धारा 46 के अन्तर्गत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है व इसका निर्णय करना इस न्यायालय द्वारा किये जाना वर्जित है। तथा यह प्रार्थना पत्र दो ग्रामदानी गांवों की सीमाओं के निर्धारण से सम्बन्धित है जिनका निर्णय ग्रामदान अधिनियम/बोर्ड द्वारा किया जाना उचित होगा।

अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 111 भू-राजस्व अधिनियम खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नामलजुमार होकर [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2022.06.14 13:05:31 IST
Reason: SelfAttested